

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

..... वनाम नर श्रीराम शर्मा  
 किस्म मुकदमा 22/22 चं मु.नं. 56 वर्ष 22

दिनांक	आज्ञा - पत्र
29/1/26	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आवेशानुसार दिनांक 05/01 को पेश हो</p>
05/01/26	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आवेशानुसार दिनांक 06/01 को पेश हो।</p>
6/1/26	<p><del>पत्रावली पेश हुई। वकील इल्लह उफा पत्रावली वाले पत्र किं। 29/1/26 को पेश हो</del></p>
12/1/26	<p><del>पत्रावली पेश हुई। वकील इल्लह उफा पत्रावली वाले पत्र किं 20/1/26 को पेश हो</del></p>
20/01/26	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में धाम स्वयं शर्मा ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह हस्तगत पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः पत्रावली को इसी एन्ट पर वारिस की भावे पत्रावली का भवलोका किया और शर्मा को सुना। अतः हस्तगत पत्रावली को मुलाबित शर्मा के निवेदन पर इसी एन्ट पर वारिस किया जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली केवल सुमाद होउत काह रकमील दाखिल पफ्तद हो।</p>

पत्रावली नहीं  
 चाली है  
 इल्लह उफा



उपखण्ड अधिकारी  
 धोद जिला-सीकर